आज्ञा-पत्र

दिनांक	
22.10.19	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष के अभिभाषक उपस्थित। बहस उभयपक्ष से सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 16.11.19 को पेश हो।
16/11/19	[illegible] हड़ताल पर होने के कारण पत्रावली पेश हुई/वकील उभयपक्ष उपस्थित है P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य मे व्यस्त/ यात्रा पर/अन्य कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21/11/19 को पेश हो।
21/11/19	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। उभयपक्ष के अभिभाषक उप.। पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत कासली पं.स. धोद द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1661 दिनांकित 07.09.2010 वाके ग्राम कासली तहसील धोद को निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा प्रकरण तहसीलदार धोद को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह स्व. भगवतसिंह के वैध वारिसों की जांच करके विधि अनुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही पूर्ण करें। पालनार्थ तहसीलदार धोद को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर

न्यायालय उपखण्ड ... सीकर (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर जिला सीकर
पीठासीन अधिकारी– राजपाल यादव, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– अपील/01/2013

01. सुरज्ञान कंवर पुत्री स्व. भगवतसिंह
02. मैना कंवर पुत्री स्व. भगवतसिंह
03. मन्जू कंवर पुत्री स्व. भगवतसिंह
04. सीमा कंवर पुत्री स्व. भगवतसिंह
05. सायर कंवर पुत्री स्व. भगवतसिंह
समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम कासली तहसील धोद जिला–सीकर

बनाम

–अपीलांट्स

01. भंवरी कंवर बेवा स्व. भगवतसिंह
02. मदनसिंह पुत्र स्व. भगवतसिंह
03. रघुनाथसिंह पुत्र स्व. भगवतसिंह
04. प्रहलादसिंह पुत्र स्व. भगवतसिंह
05. हेमसिंह पुत्र स्व. भगवतसिंह
06. हीरसिंह पुत्र स्व. भगवतसिंह
समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम कासली तहसील धोद जिला–सीकर
07. महेन्द्रपालसिंह पुत्र सुरजपालसिंह जाति राजपूत निवासी चूंगी नं. 13 हनुमानगढ़ हाउस, जिला हनुमानगढ़
08. हल्का पटवारी, कासली तहसील धोद जिला सीकर
09. तहसीलदार, धोद तहसील धोद जिला सीकर

–रेस्पोंडेंट्स

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 1661 दिनांक 07.09.2010 ग्राम पंचायत कासली पंचायत समिति एवं तहसील धोद बाबत खसरा सं. 2004/192, 2010/193 वाके ग्राम कासली तहसील धोद

उपस्थिति–
01. श्री प्रभातीलाल वकील अपीलांट्स की ओर से
02. श्री भंवरलाल बिजारणियां, वकील रेस्पोंडेंट् सं. 7 की ओर से

–:आदेश:–

दिनांक– 21.11.2019

01. वकील अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलांट व रेस्पोडेंट्स संख्या 1 ता 6 की वंशावली निम्न प्रकार से है–

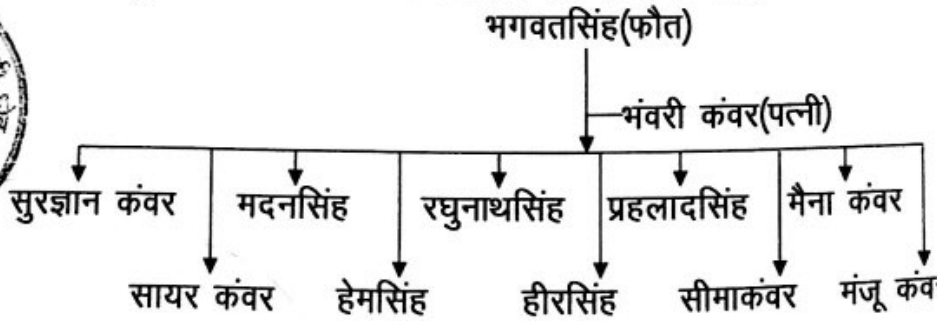

उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर

Scanned with CamScanner

अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स सं. 1 ता 6 स्व. भगवतसिंह के उत्तराधिकारीगण है, जो कि हिन्दू धर्म से संबंध रखते है। कृषि भूमियां खसरा सं. 2004/192 रकबा 2.52 हेक्टेयर, खसरा सं. 2010/193 रकबा 3.61 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.08 हेक्टेयर वाके ग्राम कासली तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित है, जिनमें अपीलांट्स के पिता भगवतसिंह रिकोर्डेड, काबिज खातेदार, काश्तकार थे। जिनका वर्ष 2010 में निर्वसीयति स्वर्गवास हो गया। जिसके बाद उक्त आराजियात स्व. भगवतसिंह के सभी वारिसानों, अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स संख्या 1 ता 6 को बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई, परन्तु अपीलांट्स के पिता की मृत्यु के बाद रेस्पोडेंट्स सं. 1 ता 6 ने अपीलांट्स की बिना जानकारी के विरासत का नामान्तरकरण सं. 1661 दिनांक 07.09.2010 को ग्राम पंचायत के सरपंच से स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में अपना नाम करवा लिया। अपीलांट्स को सर्वप्रथम जानकारी उस समय हुई, जब अपीलांट्स दिनांक 09.06.2013 को अपने पिता से उत्तराधिकार से प्राप्त कृषि भूमियों में अपने हिस्से का विभाजन करवाने के लिए अपने ससुराल से पीहर आयी हुई थी जिन्होने रेस्पोडेंट सं. 1 ता 6 से कहा कि "हमारे 5/11 हिस्सा की भूमि का विभाजन करवाकर अलग सींव नींव कायम करना चाहती है इसलिए आपसी सहमति से अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के अनुसार तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर विभाजन करवालो।" इस पर रेस्पोडेंट संख्या 3 ता 6 ने एक स्वर में कहा कि "राजस्व रिकार्ड में तुम्हारा नाम दर्ज नही है, क्योंकि विरासत का नामान्तरण अकेले हमारे नाम से हमने स्वीकृत करवाया था तथा मदन सिंह ने तो राजस्व रिकार्ड में दर्ज 1/6 हिस्सा का विक्रय पत्र भी पंजीकृत करवा दिया है। इसलिए तुम्हारे 5/11 हिस्से का ना तो विभाजन होगा ना ही तुम्हें काश्त करने दिया जायेगा।" इस पर अपीलान्टस ने दिनांक 10.06.2013 को हल्का पटवारी से सम्पर्क कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज नामों की व नामान्तकरण की जानकारी चाही तब हल्का पटवारी ने चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण की नकल प्रदान की। जिसके अवलोकन से ज्ञात हुआ कि– "रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 6 ने विरासत का नामान्तकरण अकेले अपने नाम ने स्वीकृत करवा लिया।" उसके पश्चात् अपीलान्टस ने परिवारजनों एवं रिश्तेदारान को इकट्ठा किया जिन्होनें भी रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 6 को समझाईस की व अपीलान्टस के हिस्से की भूमि अपीलान्टस के नाम दर्ज करवाने के लिए कहा तो रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 6 ने उस समय तो राजस्व रिकोर्ड दुरस्त करवाने के लिए कह दिया। परन्तु दिनांक 23.06.2013 को स्पष्टतया इन्कार हो गये। इसलिए माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण को निरस्त करवाने के लिऐ अपील प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। इसलिए चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण स्वीकृत करने से पूर्व अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने स्व. भगवतसिंह के सभी प्रथम वर्ग के वारिसान की जांच नही की एवं नामान्तकरण को सरसरी तौर पर ही रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 6 के नाम से स्वीकृत कर दिया। इसलिए रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 6 के पक्ष में स्वीकृत किया गया चुनौतीग्रस्त नामान्तकरण विधि के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण निरस्त किया जाना प्रार्थनीय है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर विद्वान अधिनस्थ ग्राम पंचायत कासली पं0स0 धोद द्वारा स्वीकृत किया गया नामांतरकरण संख्या 1661 बाबत खसरा सं. 2004/192, खसरा सं0 2010/193 वाके ग्राम कासली को निरस्त किया जाकर मृत भगवतसिंह के वारिसान अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स सं. 1 ता 6 के नाम से नामान्तरकरण स्वीकृत करने का तहसीलदार, धोद को आदेश प्रदान किया जावे।

02. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोंडेंट्स सं. 1 ता 6, 8 व 9 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोंडेंट् सं. 7 की ओर से अभिभाषक श्री भंवरलाल बिजारणिया उपस्थित हुए, लेकिन जवाब पेश नहीं किया। वकील रेस्पोडेंट् सं. 7

उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर

Scanned with CamScanner

की ओर से जवाब आवेदन अ.धारा 5 मियाद अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से खारिज की जावें।

03. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने अपील के तथ्यों को ही बहस में दोहराया तथा बहस के दौरान कथन किया कि नामान्तरकरण सं. 1661 दिनांकित 07.09.2010 भगवतसिंह की विरासत का भरा गया था, जिसमें अपीलांट को छोड़ दिया गया। जबकि अपीलांट्स भगवतसिंह की जायंदा पुत्रियां है। मियाद के संबंध में धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः अपील स्वीकार की जावें। इसके विपरीत वकील रेस्पॉडेंट्स सं. 7 ने बहस के दौरान कथन किया कि उक्त नामान्तरकरण दिनांक 07.09.2010 को तस्दीक हुआ। हमने 2013 में मदनसिंह पुत्र भगवतसिंह से उसके हिस्से की भूमि खरीद की थी। अपील मियाद की श्रेणी से बाहर है। अतः अपील को खारिज किया जावे।

04. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न विवादित नामान्तरकरण सं. 1661 भगवतसिंह के फौत होने पर विरासत का भरा गया था। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1955 के अनुसार यदि कोई हिन्दु पुरूष निर्वसीयती फौत हो जाता है, तो धारा 8 के अनुसार उसकी अचल सम्पत्ति उसके वारिसों में न्यागत होगी। धारा 8 की अनुसूची 1 में प्रथम व द्वितीय श्रेणी के वारिसों का उल्लेख किया गया है। उक्त धारा के अनुसार अचल सम्पत्ति सर्वप्रथम प्रथम श्रेणी के वारिसों में न्यागत होगी तथा यदि प्रथम श्रेणी के वारिस नहीं हो, तो द्वितीय श्रेणी के वारिसों में न्यागत होगी। धारा 8 की अनुसूची के अनुसार पुत्र, पुत्री व पत्नी तीनों प्रथम श्रेणी के वारिस है। अपीलांट्स भगवतसिंह की जायंदा पुत्रियां होने के कारण भगवतसिंह की प्रथम श्रेणी वारिस है, इसलिए भगवतसिंह की सम्पति में अपीलांट्स को भी रेस्पोडेंट्स सं. 1 ता 6 के समान ही अधिकार प्राप्त है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने भगवतसिंह की विरासत का नामान्तरकरण तस्दीक करते समय हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1955 के प्रावधानों की पालना नहीं की है। अतः विवादित नामान्तरकरण विधि के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत कासली पं.स. धोद द्वारा स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 1661 दिनांकित 07.09.2010 वाके ग्राम कासली तहसील धोद को अपास्त किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रकरण तहसीलदार धोद को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह स्व0 भगवतसिंह के वैध वारिसों की जांच करके नियमानुसार नामान्तकरण की प्रकिया पूर्ण करें। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर

उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद
मुख्यालय सीकर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2019.11.25 10:57:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: